संख्या-46/2019/1484/22-2-2019-17(20)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-551/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक दिनांक 20.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जय प्रकाश राय पुत्र श्री उमा शंकर राय, जो नि0-ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर हाल पता-ग्राम-वादीपुर थाना-मिर्जामुराद, जनपद-वाराणसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधान चुनावमें उपजे विवाद को लेकर दिनांक 07/08.05.1984 को 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक कट्टा व बल्लम से मारकर 06 महिला व 05 पुरूष सहित कुल 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 27.02.1996 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2005 द्वारा यथावत रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति में काई आपत्ति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रकरण में क्रिमि0 मिस रिट याचिका संख्या-27442/2017 जयप्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जय प्रकाश राय (बन्दी संख्या-38493) पुत्र श्री उमा शंकर राय, निवासी जनपद-जौनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-46/2019/1484(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर/वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in